

प्रेषक,

सुरजीत कौर सन्धु

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।
- 3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 2006

विषय: उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रांतर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को संबंधित निकाय संस्थाओं को वापस किये जाने विषयक वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या : क.नि. -5-72/ग्यारह-2006-500(65)/1991, दिनांक 16.01.06(प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 16.01.06 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,
सुरजीत कौर सन्धु
प्रमुख सचिव

संख्या : 767(1) / आठ-1-06, तददिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 16.01.06 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी
अनुसचिव